

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1082/दो-9-2018-53(24)/2012
लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0) को उनके स्वयं की दिनांक 19.02.2018 से 20.02.2018 तक डा0 एस0एच0 आडवानी, सुश्रुत हास्पिटल, मुम्बई से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-3,12,710/- (रूपये तीन लाख बारह हजार सात सौ दस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0) का भारतीय स्टेट बैंक, अशोक मार्ग, हजरतगंज शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-MSB10102069611 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0003347 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/068102 है। श्री खान, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1082(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0), 107, इन्साफ नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1084/दो-9-2018-53(14)/2008
लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राजेन्द्र सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 को उनकी स्वयं की दिनांक 01.02.2018 से 20.02.2018 तक डा0 सुबोध कुमार सिंह, डा0 सुबोधस डेन्टल क्लीनिक, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-54,000/- (रूपये चौवन हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री राजेन्द्र सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 का भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अर्जुनगंज, लखनऊ में खाता संख्या-30247503443 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0012732 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/068753 है। श्री सिंह, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1084(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री राजेन्द्र सिंह, (सेवानिवृत्त), पी0सी0एस0, डी-111/226, पाम ग्रोव विला, अंशल ए0पी0आई0 गोल्फ टाउन सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1180/दो-9-18-8(16)/2012
लखनऊ दिनांक 04 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अवधेश कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-9, उ०प्र० सचिवालय को उनके स्वयं के दिनांक-19.1.2018 से 27.1.2018 तक डा० राजेश भाटिया, चन्द्रा सुपर स्पेसिलिटी आई हास्पिटल, लखनऊ से कराये गये आँखों के उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रु०-943/- (रु० नौ सौ तैतालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री अवधेश कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति लेखा को एक अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (ई) अनुभाग-5 / वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
- 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- श्री अवधेश कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-9, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1035 / दो-9-2018-8(156) / 2011
लखनऊ, दिनांक 09 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्रीमती रती, अनुसेविका, कार्मिक विभाग के उनके पुत्र अंकित की दिनांक 28.01.2017 से 27.12.2017 तक डॉ० संदीप अग्रवाल, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू०-14,064/- (रूपये चौदह हजार चौसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्रीमती रती, अनुसेविका, कार्मिक विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1035(1) / दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्रीमती रती, अनुसेविका, कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1111/दो-9-2018-8(40)/2015
लखनऊ, दिनांक 09 मई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग को उनकी पत्नी श्रीमती अनिता द्विवेदी की एवं उनकी स्वयं की दिनांक 17.03.2018 से 21.03.2018 तक, दिनांक 02.03.2018 से 30.03.2018 तक एवं दिनांक 17.03.2018 से 21.03.2018 तक डा0 सुबीर सिंह, महाबीर आई0 सेन्टर से एवं डा0 एम0के0 मित्रा, के0के0 हास्पिटल, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-5,150/-, रू0-15,750/- एवं रू0-5,350/- अर्थात् कुल रू0-26,250/- (रूपये छब्बीस हजार दो सौ पचास मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें जाला जायेगा, जिससे श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1111(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1110/दो-9-2018-8(94)/2018
लखनऊ, दिनांक 09 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राजेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5 को उनकी माता श्रीमती दुर्गावती की दिनांक 27.01.2018 को डा0 नीरज चौधरी, कृष्णा मदर एण्ड आई0 केयर लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-20,375/- (रूपये बीस हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद '49-चिकित्सा व्यय' के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री राजेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5 का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1110(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- श्री राजेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनुसचिव